

कार्यालय आदेश

निम्नांकित क्षेत्रीय वन अधिकारियों (ग्रेड-1) के स्थानान्तरण/पदस्थापन सहायक वन संरक्षक पद के विरुद्ध प्रशासनिक हित में तत्काल प्रभाव से निम्न विवरणानुसार किये जाते हैं -

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	वि.वि.
1.	श्री उदयराम	क्षेत्रीय वन अधिकारी, सरिस्का।	सहायक वन संरक्षक, सरिस्का।	रिक्त पद पर
2.	श्री नरेन्द्र कुमार चतर	क्षेत्रीय वन अधिकारी, डग, झालावाड।	सहायक वन संरक्षक, झालावाड।	रिक्त पद पर
3.	श्री जोधराज हाडा	क्षेत्रीय वन अधिकारी, सवाईमानसिंह अभयारण्य, फलोदी, सवाईमोघोपुर।	सहायक वन संरक्षक, बाघ परियोजना, रणथम्भौर, स0माधोपुर।	रिक्त पद पर
4.	श्री उमेश सिंह पूनिया	क्षेत्रीय वन अधिकारी, डूंगरगढ, बीकानेर।	सहायक वन संरक्षक, विभागीय कार्य मंडल, बीकानेर।	रिक्त पद पर
5.	श्री केशरीसिंह राठौड	क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रतापगढ।	सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर।	श्री कुमार स्वामी, स.व.सं. पद के विरुद्ध।
6.	श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता	क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज हिण्डौन।	सहायक वन संरक्षक, गंगापुर सिटी।	रिक्त पद पर
7.	श्री वृजराज सिंह	क्षेत्रीय वन अधिकारी, भू-संरक्षण अधिकारी, भीलवाडा।	सहायक वन संरक्षक, भीलवाडा।	रिक्त पद पर
8.	श्री गहीपाल सिंह	क्षेत्रीय वन अधिकारी, भीनमाल।	सहायक वन संरक्षक, सुमेरपुर।	श्री किशन सिंह भाटी, स.व.सं. पद के विरुद्ध।
9.	श्री भीमसिंह सोलंकी	क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोलायत।	सहायक वन संरक्षक, बीकमपुर।	श्री भवरसिंह के स्थान पर स.व.सं. पद के विरुद्ध।
10.	श्री नवलकिशोर गुप्ता	क्षेत्रीय वन अधिकारी, जयपुर (पूर्व), उ.व.स. उत्तर।	सहायक वन संरक्षक, सरिस्का।	रिक्त पद पर
11.	श्री महेश टोंक	क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर, अजमेर।	सहायक वन संरक्षक, देवली, टोंक।	रिक्त पद पर
12.	श्री मोहनलाल खत्री	क्षेत्रीय वन अधिकारी, म्याजलार, डीएनपी, जैसलमेर।	सहायक वन संरक्षक, खाजूवाला, वन मंडल छत्तरगढ।	रिक्त पद पर
13.	श्री महेश कुमार	क्षेत्रीय वन अधिकारी, नोखा, वन मंडल नागौर।	सहायक वन संरक्षक, बाघ परियोजना, रणथम्भौर, स0माधोपुर।	रिक्त पद पर
14.	श्री भवानी सिंह	क्षेत्रीय वन अधिकारी, नीमका थाना, वन मंडल सीकर।	सहायक वन संरक्षक, बाघ परियोजना, रणथम्भौर, स0माधोपुर।	रिक्त पद पर

यह आदेश स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध बाबत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आई.डी. संख्या 1326/डीएस/एआर-1/11 दिनांक 9.1.2012 से दी गयी सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,